

Government of Uttarakhand and Office of the District Collector, Chamoli
No---
Dated-24.07.2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 6.459 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Kuling - Didina Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Didina village (s) in Tharali tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.459 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto
 - (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
 - (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.
- EucL: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

आदेशित प्रमाणित
अधिकारी के हस्ताक्षर
(चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya at time 15.00 hrs. on dated 24.07.2021.

Chamoli in which application claiming rights in Didina area measuring 6.459 hect for the Construction of Kuling - Didina Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place, .. Chamoli
Dated: 24/07/2021

For the District Level Committee


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Chamoli
For the District Level Committee

For the District Level Committee

For the District Level Committee
(24/07/21)

Attachment 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- जनपद बमोली में विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.456 हे० आरक्षित, 2.503 हे० सिविल, कुल 6.459 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहली, जमाली

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत 6.459 हे० (3.456

... हे० आरक्षित वन भूमि, 2.503 हे० सिविल एवं सौधम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि,

अर्थात् कुल 6.459 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये

जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील) की दिनांक 24/02/2021

... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक

श्री द्वारा किया गया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन

अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति

निम्नानुसार है।

1- श्री उपजिलाधिकारी अध्यक्ष

2- श्री उप प्रमानीय वनजिलाधिकारी अध्यक्ष

3- श्री सदस्यक समान कल्याण अधिकारी अध्यक्ष

4- श्री सदस्यक समान कल्याण अधिकारी अध्यक्ष

5- श्री सदस्यक समान कल्याण अधिकारी अध्यक्ष

6- श्री सदस्यक समान कल्याण अधिकारी अध्यक्ष

प्रस्ताव के आधार पर सांविधानिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की गई है।



उप जिलाधिकारी/असुक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद

प्रतिनिधि : जिलाधिकारी, को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/असुक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद

संबंधित उप प्रमानीय वनधिकारी, द्वारा अनुरोधित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड तहसील स्तर पर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद वमोली में विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 6.4.59. हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

परियोजना का नाम :- जनपद बमोली में विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत कृषि विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.456 हे० आरक्षित, 2.503 हे० सिविल, कुल 6.459 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कृषि विभाग
तहसील - , जनपद - बमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत जनपद बमोली में विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत कृषि विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्ग हेतु (3.456 हे० आरक्षित, 2.503 हे० सिविल, भूमि) अर्थात् कुल 6.459 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पथविरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कृषि विभाग

..... द्वारा दिनांक 25/06/2006 को सम्मन् ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी और आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपर्युक्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा और आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हिदीग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



